(

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

प्रत्रांकः– प्र0 / NBPDCL-04/2018 पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),

बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन पश्चिमी चम्पारण जिला के नरकटियागंज प्रखण्ड के महेशपुर में एक अद्द 33 / 11 के0वी0 2X5 MVA का नया विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु कुल 6.17 करोड़ (छः करोड़ सत्रह लाख) रूपये की नई योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में 6.17 करोड़ (छः करोड़ सत्रह लाख) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः स्वीकृत।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन 33 KV एवं 11KV Line की लम्बाई सीमित कर विद्युत गुणवता में सुधार के साथ–साथ AT एवं C Loseses कम करने के लिए पश्चिमी चम्पारण जिला के नरकटियागंज प्रखण्ड के महेशपुर में एक अद्द 33 / 11 के0वी0 2X5 MVA का नया विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए कुल अनुमानित लागत 6.17 करोड़ (छः करोड़ सत्रह लाख) रूपये आकलित किया गया है।

2. उक्त आलोक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन पश्चिमी चम्पारण जिला के नरकटियागंज प्रखण्ड के महेशपुर में एक अद्द 33 / 11 के0वी0 2ग5 डट। का नया विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु कुल 6.17 करोड़ (छः करोड़ सत्रह लाख) रूपये की नई योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में 6.17 करोड़ (छः करोड़ सत्रह लाख) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05–संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं0–10– उपशीर्ष–0103– नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड की परियोजना, विपत्र कोड 10– 4801057890103 विषय शीर्ष 0103.54.01 निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी0एल0खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120– अन्य निधियाँ, उपशीर्ष– 0048– नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड व्यय शीर्ष एल0 8448001200048 एवं प्राप्तियाँ–के0– 8448001200048 में जमा की जायेगी।

5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।

6. उक्त योजना की स्वीकृति पर सक्षम प्राधिकार माननीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या– प्र0 / NBPDCL-04/2018 के पृष्ठ संख्या 6 / टि0 पर दिनांक 08.03.2018 को प्राप्त है।

7. राज्यादेश पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– प्र0 / NBPDCL-04/2018 पृष्ठ संख्या–08 / टि0 पर दिनांक–09.03.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –
(प्रत्यय अमृत),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– प्र0 / NBPDCL-04/2018 **पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, कोषागार, सिचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– प्र0 / NBPDCL-04/2018 790 **पटना, दिनांक–** 12/03/2018

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बजट शाखा / प्रधान सचिव वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा विभाग (तीन प्रतियों में) पटना / आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना / प्रबन्ध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

E:\vipul\allotment letter 2017-18\July 2017\mantri prisab ka sanlekh 13-07-2017 NBPDCL